UPMA010016512026

**न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, जनपद मऊ(उ०प्र०)।**
**पीठासीन अधिकारी–संजय कुमार यादव–III(एच.जे.एस.)**
**ID Code–UP2023**
**दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०–71/2026**

**विवेक राय (लेखपाल) व अन्य–––––––बनाम–––––उ०प्र० राज्य आदि**

**दिनांकः–07.07.2026**

(1) पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। आवेदकगण/प्रस्तावित निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6ख अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण को पूर्व में सुना जा चुका है।

(2) आवेदक/प्रस्तावित निगरानीकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र 6ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि आवेदक आवश्यक सरकारी कार्यों से समय न मिल पाने के कारण कई दिन बाद दिनांक 30.03.2026 को अपने अधिवक्ता से मिला तब आदेश दिनांक 20.12.2025 की जानकारी हुई तथा अधिवक्ता ने आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कर दिनांक 25.03.2026 को उक्त आदेश की नकल प्राप्त किया है। आवेदक ने जानबूझकर नहीं किया है बल्कि नाजानकारी के कारण हुई है। उपरोक्त कथन करते हुये विलम्ब को क्षमा कर निगरानीकर्ता को दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

(3) पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2025 को आदेश पारित किया गया है परन्तु आवेदकगण सरकारी में कार्य में व्यस्त होने के कारण उक्त आदेश की जानकारी नहीं हो पायी तथा काफी प्रयास करने के उपरांत उक्त आदेश की जानकारी हुई है और अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 25.03.2026 को उक्त आदेश की नकल प्राप्त होने पर उक्त आदेश के विरूद्ध दिनांक 31.03.2026 को विलम्ब से दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गयी, जिससे यह स्पष्ट है कि फौजदारी निगरानी लगभग 11 दिन विलम्ब से दाखिल किया गया है। विलम्ब के संबन्ध में आवेदकगण द्वारा सशपथ यह कहा गया है कि आवेदकगण पेशे से लेखपाल हैं तथा सरकारी कार्य में व्यस्त होने के कारण आदेश की जानकारी समय से नहीं हो सकी थी, जिसके कारण निगरानी समय से प्रस्तुत नहीं कर सके थे। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 5 मियाद



Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2026.07.09 19:31:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को लचीला रूप अपनाना चाहिये, अत्यंत कठिनाई पूर्वक इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया जाना चाहिये।

(4) विधि व्यवस्था ओरियन्टल एरोमा केमिकल इण्डस्ट्रीज लि0 बनाम गुजरात इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन व अन्य 2010(2) जे सी एल आर (सुप्रीम कोर्ट) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यद्यपि कि प्रत्येक दिन होने वाली विलम्ब को स्पष्ट करने के लिये कोई निश्चित मापदण्ड का नियम नहीं बनाया जा सकता, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि विलम्ब को उपशमित किये जाने हेतु न्यायालयों द्वारा उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये।

(5) इस प्रकार आवेदकगण/प्रस्तावित निगरानीकर्तागण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निगरानी प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब का स्पष्ट कारण उल्लिखित किया गया है और अपने कथनों के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध निर्धारित अवधि में निगरानी न दाखिल करने के पीछे पर्याप्त कारण मौजूद था।

(6) उपर्युक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुये आवेदकगण/निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6 ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

(7) आवेदकगण/निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6 ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार, पत्रावली फौजदारी निगरानी की ग्राह्यता के बिन्दु पर सुनवायी हेतु दिनांक 25.07.2026 को पेश हो। उभय पक्ष नियत तिथि को उपस्थित हो।

दिनांकः–07.07.2026

**सत्र न्यायाधीश**
**मऊ**